

**भारतीय लघु उदयोग विकास बैंक**

दिल्ली-नैनीताल राजमार्ग रुद्रपुर, उधम सिंह नगर - 263153, **उत्तराखंड**

**वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन**

**अधिनियम 2002 के तहत आस्तियों के विक्रय की सार्वजनिक सूचना**

जबकि सिडबी के प्राधिकृत अधिकारी ने हमारे शाखा के निम्नलिखित ऋण खाते के संदर्भ में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में निम्नलिखित सम्पत्ति(यों) का भौतिक रूप से कब्जा लिया है और बैंक की ब्याज सहित देयताओं जिसका विवरण नीचे दिया गया है, की चुकौती में उधारकर्ता / बंधककर्ता द्वारा असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) में प्रदत अधिकारों को प्रयोग करते हुए उक्त सम्पत्ति(यों) की **“जैसा है जहां है और जैसा है जो कुछ है”**के आधार पर बिक्री कर बैंक की देयताओं की वसूली का प्रस्ताव करता है, बिक्री उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6, 8 व 9 के साथ पढ़ा जाए के अधीन होगी। अधोहस्‍ताक्षरी द्वारा बिक्री वेबसाइट [**https://sidbi.auctiontiger.net**](https://sidbi.auctiontiger.net/).पर ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

| **क्र.सं** | **उधारकर्ता / कर्ताओं और गारन्‍टीकर्ता /कर्ताओं का नाम** | **बंधककर्ता का नाम** | **सम्‍पत्ति लाट न.** | **बंधक सम्‍पत्ति का विवरण** | **जमा बयाना राशि**  **` लाख मेंW** | **आरक्षित मूल्य**  **` लाख मेंW** | **मांग सूचना तिथि और देय राशि**  **` लाख में** | **सिडबी बैंक खाते का विवरण** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | मैसर्स दीपक भास्कर इंजीनियरिंग / श्री भास्कर ब्रिजवासी औरश्री पंकज पाठक | श्री भास्कर ब्रिजवासी औरश्री पंकज पाठक | 1 | प्लॉट नं 460/1, खाता नं.170, खसरा नं. 524, जैन राइस मिल के पीछे, बाल भारती रोड, गांव शिमला पिस्तौर डाक घर-लालपुर, उधम सिंह नगर में क्षेत्रफल 266.82 वर्ग मीटर,श्री भास्कर ब्रिजवासी और श्री पंकज पाठक के संयुक्त नाम पर है,जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :  उत्तर-रजनी गर्ग का प्लॉट,  पूर्व-मजार,  पश्चिम-नहर और मार्ग,  दक्षिण-विक्रेता की भूमि | 2.00 | 29.02 | 15.10.2015/ ` 29.11 लाख 10.10.15 को भावी ब्याज और अन्य देयताएँ को जोड़ें | **हिताधिकारी का नाम :** भारतीयलघुउद्योगविकासबैंक, रुद्रपुर शाखा कार्यालय  **हिताधिकारी खाता सं.**  0231103000000055  **आईएफएससी कूट:**  IBKL0000231जहां '0' शून्य है  **हिताधिकारी बैंक का नाम व शाखा:** आईडीबीआईबैंक लि., गाबा कॉम्प्लेक्स, काशीपुर रोड, रुद्रपुर |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **निरीक्षण की तिथि** | **ईएमडी / दस्‍तावेज (केवाईसी सहित) प्रस्‍तुत करने की अन्तिम तिथि** | **ई नीलामी की तिथि** | **प्राधिकृत अधिकारी का नाम व सम्‍पर्क ब्‍यौरे** |
| फरवरी 15, 2018  प्रातः 10.30 बजे से अपराहन 3.30 बजे तक | फरवरी 20, 2018 को सांय 5.00 तक  कार्यालय का पता:  प्रथम तल, 22 आवास विकास, समीप आईसीआईसीआई बैंक लि., दिल्ली-नैनीताल राजमार्ग, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर - 263153, उत्तराखंड | फरवरी 28, 2018 को अपराहन 2.00 से अपराहन 3.00 बजेतक  वेबपोर्टल का नाम  [https://sidbi.auctiontiger.net](https://sidbi.auctiontiger.net/) | श्री विजय कुमार सिंह, सहायक महाप्रबंधक, मोबाइल न. 09198730909, (05944) 246806  ई-मेल आईडी :[vksingh@sidbi.in](mailto:vksingh@sidbi.in) |

**नियम एवं शर्तें :**

1. सम्‍पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है और जैसा है जो कुछ है"** के आधार पर है तथा बोलीकर्ता की यह जिम्‍मेदारी होगी कि वे बोली प्रस्‍तुत करने से पहले सम्‍पत्ति का निरीक्षण कर इसके क्षेत्र, स्थि‍ति एवं ब्‍यौरो के सम्‍बन्‍ध में स्‍वयं को सन्‍तुष्‍ट कर लें।

2. प्राधिकृत अधिकारी की पूरी जानकारी व संज्ञान में संपत्ति पर सिडबी को छोड़कर अन्‍य किसी का कोई ऋण भार नहीं है (वेबसाइट पर डाले गए विस्‍तृत शर्तो व निबंधन का संदर्भ लें). तथापि इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति के संदर्भ में स्वत्व/ दावे/ देयताओं जोकि सम्‍पत्ति को प्रभावित करती है, के बारे में स्वतंत्र रूप से बोली देने के पूर्व आश्वस्त हो लें।

3. नीलामी के समापन पर सफल बोलीकर्ता द्वारा ईएमडी का समायोजन करने के बाद बिक्री मूल्य का 25% उसी दिन अथवा बोलीकर्ता के पक्ष में बोली के सम्‍पुष्टि के अगले कार्यदिवस में जमा करना होगा। मूल्य की शेष राशि को ई-नीलामी के 15 दिनों के भीतर अथवा क्रेता एवं प्रतिभूति लेनदार के बीच लिखित सहमति से विस्तारित अवधि के भीतर देय होगा।

4. सफल बोलीकर्ता / क्रेता, समस्‍त वैधानिक देयताओं, रजिस्‍ट्रेशन शुल्‍क, स्‍टाम्‍प्‍ डयूटी, कर आदि वहन करेगा। प्राधिकृत अधिकारी/ बैंक सम्‍पत्ति के सन्‍दर्भ में किसी भी सरकारी देयताओं / संवैधानिक देयताओं हेतु उत्‍तरादयी नहीं होगा ~

बोली कैसे लगायें

1. इच्छुक बोलीकर्ताओं द्वारा सिडबी को ईएमडीका भुगतानएनईएफटी/आरजीटीएसद्वारा अथवा सिडबी के पक्ष में आहरित बैंकर्स चेक अथवा डिमाण्‍ड ड्राफट द्वारा उपरोक्‍त सिडबी कार्यालय में किया जायेगा। इच्‍छुक बोलीकर्ता को निम्‍नलिखित दस्‍तावेज़ प्रस्‍तुत करने होगें (1) ईमडी जमा करने का प्रमाण्‍, एनईएफटटी / आरटीजीएस का यूटीआर नं (2) पैन कार्ड / फार्म 60 (3) नवीनतम पते का प्रमाण और इसके साथ ही उक्‍त दस्‍तावे़ज़ों की स्‍कैण्‍ड प्रतियां तैयार रखें जिन्‍हें [**https://sidbi.auctiontiger.net**](https://sidbi.auctiontiger.net/) पर लाग इन आईडी और पासवर्ड (जिसकी बोली हेतु आवश्यकता पड़ेगी) प्राप्‍त करने के लिए पंजीकरण के समय अपलोड करना होगा
2. **केवल वे** बोलीकर्ता जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड है और जिन्होंने एनईएफटटी / आरटीजीएस द्वारा ईएमडी जमा करने की संपुष्टि कर दी है, वे ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे ।
3. **इच्छुक बोलीकर्ता जिन्होने** ईएमडी जमा कर दिया है औरजो लॉग-इन आईडी और पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोड करने, बोलो लगाने, ई-बोली प्रक्रिया आदि में प्रशिक्षण चाहते हैं, वे मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ए/801, वालस्‍ट्रीट-2, ओरिएन्‍टक्‍लबकेसामने, गुजरातकालेजकेपास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006, सपोर्टनं. **079-40230816/817/818/813/814/815/820/821/822,हेल्‍पलाइनईमेलआईडी[support@auctiontiger.net](mailto:support@auctiontiger.net)**या संपर्क व्यक्ति श्री विजय शेट्टी, मोबाइल स. 09619002431 व श्री तिलक मराठा मोबाइल स.0906779946ई मेल आईडी vijay.shetty@auctiontiger.net, tilak@auctiontiger.net से संपर्क कर सकते हैं। सम्‍पत्ति से सम्‍बन्धित जानकारी के लिए श्री विजय कुमार सिंह, सहायक महाप्रबंधक, मोबाइल न. 09198730909, (05944) 246806ई मेल आईडी [vksingh@sidbi.in](mailto:vksingh@sidbi.in)पर सम्‍पर्क कर सकते हैं ~
4. बोलीकर्ता को सूचित किया जाता है कि विस्‍तृत निबन्‍धन एवं शर्ते जो कि बैंक की वेबसाइट [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in/) (tenders) तथा https://sidbi.auctiontiger.net में डाली गयी है, की जानकारी ले लें ~

विस्तृत नियम & शर्तें

1. मामले की तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में जैसा आवश्यक समझा जाए, सिडबी को किसी भी शर्त को संशोधित / आशोधित / हटाए जाने की स्वतंत्रता होगी। अगर खरीदार से आस्थगित भुगतान के आधार पर संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो सिडबी का प्रस्ताव रद्द करने / संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त, यदि वह क्रेता के बैंकर से या किसी अन्य वैध कारणों से असंतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होता हा तो सिडबी बोली को संशोधित / आशोधित/ रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है ।

2. इच्छुक बोलीकर्ता जिन्होंने **20.02.2018 को सायं 5.00 बजे तक** या उससे पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने ईएमडी प्रस्तुत कर चुके हैं, वे ई-बोली-प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। बोलीकर्ताओं के बीच उपरोक्त संपत्ति की ई-नीलामी आपस में बोली लगाने के माध्यम से उपर्युक्त निर्धारित दिनांक और समय पर ही आयोजित की जाएगी। बोलीकर्ता ` 25,000/- के गुणक में सुधार कर सकते हैंwb । यदि ई-नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन का समय स्वतः 5 मिनट (अधिकतम प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के अधीन) के लिए बढ़ाया जाएगा। बोलीकर्ता जो ई-नीलामी प्रक्रिया को बंद होने पर उच्चतम बोली राशि (रिज़र्व मूल्य के नीचे नहीं) प्रस्तुत करता है, को सफल बोलीकर्ता घोषित किया जाएगा और उस प्रभाव के लिए प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत जमाकर्ता द्वारा अनुमोदित एक सूचना जारी की जाएगी।

3. सफल बोलीकर्ता के बयाना जमा राशि (ईएमडी) बिक्री के भाग के रूप में विचार के लिए रखा जाएगा और असफल बोली लगाने वालों के बयाना जमा राशि (ईएमडी) वापस कर दी जाएगी। बयाना जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोली लगाने वाले को उसी दिन विक्रय मूल्य का 25% जमा करना होगा, (पहले से ही भुगतान किए गए ईएमडी का समायोजन कर) या किसी भी हालत में बोली उस के पक्ष में होने के बाद अगले कार्य दिवस में। विक्रय मूल्य का शेष 75% खरीदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर या खरीदार और प्रतिभूत लेनदार के बीच लिखित में सहमति के अनुसार, किसी भी मामले में यह तीन माह से अधिक न हो।

4. संभावित बोलीकर्ता ई-नीलामी की तिथि से पूर्व मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी / बैंक और न ही ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, किसी भी इंटरनेट नेटवर्क की समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे और इच्छुक बोलीकर्ताओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे ई-नीलामी के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए तकनीकी तौर पर अच्छी तरह से तैयार हैं।

5. यह समझा जाएगा कि सभी बोलीकर्ताओं ने बिक्री की नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे इस के लिए बाध्य होंगे।

6. खरीदार को इस संपत्ति से जुड़े लागू स्टांप ड्यूटी अंतरण प्रभार, फीस इत्यादि और सभी वैधानिक / गैर वैधानिक देय, कर, दर, मूल्यांकन प्रभार, फीस, सोसाइटी प्रभार इत्यादि का भी वहन करना होगा। प्रस्तावित संपत्तियों / आस्तियों की बिक्री के संबंध में किसी भी अनुमति / लाइसेंस आदि प्राप्त करने या उक्त संपत्ति/ आस्तियों के संबंध में किसी भी देयताओं के निपटान के लिए सिडबी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

7. बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी में भाग लेने से पहले -नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तों को पढ़ लें।

8. बिक्री नोटिस का प्रकाशन तभी होगा जब प्रमुख खंड लागू होंगे।

9. जो प्रस्ताव / बोली बिक्री की शर्तों के अनुरूप नहीं होंगे उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा, बोली प्रस्तुत करने के बाद प्रस्ताव में किसी भी परिवर्तन / संशोधन के बारे में पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.एक बार दी गई बोली रद्द नहीं की जाएगी या वापस नहीं ली जाएगी। बोलीकर्ता को दिया गया यूजर आईडी से बनाई गई सभी बोलियां उनके द्वारा दी गई बोली मानी जाएंगी।

11. बिक्री प्रमाणपत्र उसी नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली प्रस्तुत की गई है।

12. इच्छुक बोलीकर्ताओं को https://sidbi.auctiontiger.net पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए और बगैर किसी लागत के उपयोगकर्ता को आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। मे. ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए वैध आईडी और पासवर्ड वाले बोलीकर्ताओं को पैन के विधिवत सत्यापन के उपरांत, इस नीलामी के लिए उपरोक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।

13. बोली लगाने वालों को स्वयं के हित में अंतिम चरण में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि न तो लघु उद्योग विकास बैंक और न ही सेवा प्रदाता (मे.ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) कोई चूक / विफलता / (इंटरनेट / बिजली आदि उपलब्ध नहीं होने) के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था / विकल्प जैसे कि बिजली-आपूर्ति बैक अप आदि का प्रबंध कर लें ताकि वे सफलतापूर्वक नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकें।

**14. असफल बोलीकर्ताओं को ईएमडी धनराशि की वापसी**: सामान्यतया ई-नीलामी के 7 कार्य-दिवसों के भीतर। ईएमडी की वापसी में किन्हीं कारणों से हुए विलंब की स्थिति में बोलीकर्ता किसी भी प्रकार के ब्याज के पात्र नहीं होंगे।

15. प्राधिकृत अधिकारी के पास सार्वजनिक धन की वसूली को अधिकतम बनाने हेतु प्रस्ताव में और अधिक सुधार के लिए सबसे अधिक बोली लगानेवालों के साथ वार्ता करने का अपना अधिकार सुरक्षित होगा।

.

16. यदि उधारकर्ता /गारंटीकर्ता द्वारा ई-नीलामी की तिथि एवं समय से पूर्व देय राशि का राशि भुगतान करता है, तो ई-नीलामी बंद /रद्द कर दी जाएगी और बोलीकर्ताओं को आवश्यक सूचना प्रेषित की जाएगी।

17. ई-नीलामी सिडबी के प्राधिकृत अधिकारी और उक्त प्रयोजन के लिए सिडबी द्वारा नियुक्त नीलामी संबंधी एजेंसी की देखरेख में आयोजित की जाएगी।

18. उपर्युक्त शब्दों और अभिव्यक्ति से क्रमशः सरफेसी अधिनियम, 2002 एवं तत्संबंधी निर्धारित नियमों के सबंध में समान निहितार्थ अभिप्रेत होंगे।

19. क्रेता कार्यस्थल पर खरीद के उपरांत कानून द्वारा निषिद्ध किसी भी प्रकार का कार्यकलाप संपन्न नहीं करेगा।

20. नीलामी (यों) की प्रकृति 'सिडबी के अनुमोदन के अधीन' होगी अर्थात् उच्चतम बोली को अंतिम रूप दिया जाएगा और प्राप्त सभी बोलियों के संबंध में अंतिम निर्णय किए जाने तक उन्हें अभिलेख में रखा जाएगा।

21. बैंक /प्राधिकृत अधिकारी को किन्हीं अथवा सभी निविदाओं /बोलियों को बिक्री की पुष्टि से पूर्व स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार होगा और उसे बिना किसी कारण बताए ई-नीलामी की बिक्री रद्द करने का अधिकार होगा। यदि ई-नीलामी बिक्री की निर्धारित तिथि से पूर्व निरस्त कर दी जाती है तो, संबंधित सूचना केवल सिडबी के वेबसाइट www.sidbi.in पर प्रतिदर्शित किया जाएगा।

22. बिक्री की संपूर्ण कीमत के भुगतान और बिक्री संबंधी समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत, सफल खरीदार को सरफेसी नियम 2002 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

23. इस नीलामी में सिडबी को बगैर किसी पूर्वग्रह के ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष और /या वसूली प्रमाणपत्र या किसी अन्य वसूली संबंधी उपाय के अनुसार उधारकर्ता /गारंटीकर्ता /दृष्टिबंधककर्ता /गिरवीकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार होगा, जो सिडबी को प्राप्त हो।

**सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बिक्री संबंधी 15 दिनों का सांविधिक नोटिस**

उधारकर्ता /गारंटीकर्ता को एतद्द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित राशि को ई-नीलामी की तिथि को और समय पर या उससे पूर्व उक्त तिथि तक ब्याज और अनुषंगिक खर्चों के भुगतान हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसकी चूक की स्थिति में संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष देयताएँ, यदि कोई हो तो, ब्याज और लागत सहित उनकी वसूली की जाएगी।

दिनांक 10.02.2018

स्थान : रुद्रपुर **प्राधिकृत अधिकारी**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक